मांग उत्पन्न हो गई है। 1993–94 से शुरू करके इस प्रकार के सभी जिलों को अंततः चरणबद्ध ढंग से शामिल करने का लक्ष्य है।

सरदार सरोवर परियोजना

*173. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना के लिये संवितरित न किये गए ऋण को रद्द करने के संबंध में भारत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ख) भारत को किन परिस्थितियों के तहत संवितरित न किये गए ऋण को रद्द करने के लिए अनुरोध करना पड़ा; और

(ग) इस प्रकार संवितरित न किये गये कितने ऋण को रद्द किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (नीचे देखिये)।

(ग) ऋण की अवितरित राशि लगभग 170 मिलियन अमरीकी डालर है।

विवरण

मई, 1985 में सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना के लिए 99.7 मिलियन एस० डी० आर० की आई० डी० ए० ऋण सहायता और 200 मिलियन अमेरिकी डालर की अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) ऋण सहायता और परियोजना की नहर प्रणाली के लिए 149.5 मिलियन एस०डी०आर० की आई०डी०ए० ऋण सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 99.7 और 149.5 मिलियन अमेरिकी डालर के एस०डी०आर० ऋणों का उपयोग जुलाई, 1992 तक पूर्ण रूप से किया गया है। 532.2 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल ऋण/क्रेडिट राशि के मुकाबले परियोजना ने फरवरी, 1993 तक कुल मिलाकर 333.666 मिलियन अमेरिकी डालर का उपयोग कर लिया है।

स्वतंत्र पुनरीक्षा रिपोर्ट के प्रकाशन और उस पर भारत सरकार के उत्तर के पश्चात् विश्व बैंक ने स्थिति की पुनरीक्षा की और 23-10-92 को परियोजना को सहायता जारी रखने का निर्णय लिया बशर्ते अप्रैल, 1993 में विश्लेष मिशन द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले विशिष्ट निष्पादन बेंचमार्कों को पूरा कर लिया गया हो। भारत सरकार, और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त उपाय प्रारंभ कर दिए और उनको 5 माह के भीतर अर्थात् मार्च 1992 के अंत तक अधिकांशतः पूरा कर दिया था। तथापि, यह देखा गया कि परियोजना पर विवाद को जटिल बनाने और भारत और विदेशों में मामले को राजनीतिक रंग देने के प्रयास किए जा रहे थे। स्थानीय रूप से गड़बड़ी उत्पन्न करने के प्रयास भी किए गए, जिससे पुनर्वास और पुर्नस्थापना कार्य के कार्यान्वियन में बाधा पहुंची। वातावरण को और दूषित होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से सहायता न लेने और इस परियोजना के लिए क्रेडिट/ऋण के बकाया भाग का भुगतान नहीं लेने का निर्णय लिया।

पाठ्य पुस्तकों की मांग पूरी करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) की विफलता

*174. **श्री गुफरान आजम :**
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1993 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "नीड टू रिव्यू प्राइवेटाइजेशन ऑफ टैक्सट

बुक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों के शिक्षा बोर्डों ने पुस्तकों का मुद्रण तथा वितरण कार्य निजी प्रकाशकों को सौंप दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् देश में विभिन्न पाठ्य-पुस्तकों विशेषत: क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकों की मांग पूरी करने में विफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे और संशोधित पाठ्य-क्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर राज्यों ने भी नई स्कूली पाठ्यपुस्तकों को अपनी स्कूली पद्धति में चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए उन्हें तैयार करने के उपाय शुरू किए हैं । पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और वितरण का कार्य सम्बद्ध राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा उनकी अपनी व्यवस्था के अनुसार किया जाता है ।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी पाठ्यपुस्तकों की कोई कमी नहीं है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अपनी पाठ्यपुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन नहीं करती है, परन्तु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करण प्रकाशित करने की इच्छुक राज्य स्तरीय एजेंसियों को कॉपीराइट की अनुमति प्रदान करती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Recommendations of NCERT of early Childhood Education

*175. SHRI G. PRATHAPA REDDY :
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what are the recommendations made by the NCERT on early childhood education; and

(b) what steps are being taken to popularise the rceommendations ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) and (b) The NCERT has been conducting annual Seminars/Workshops/Conferences for Principals, Teachers and Parents in metropolitan cities on Early Childhood Education (ECE) since 1989. The Specific recommendations of these Seminars have been :

(i) There should be no admission tests for children at pre-primary stage.

(ii) There should be no formal instruction of reading, writing and arithmetic at this stage.

(iii) The pre-primary school should not admit children of less than 3½ years of age.

(iv) There should be a system of licensing and accreditation for pre-primary schools.